न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

तुलछाराम व अन्य

बनाम

भॅवरलाल इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री प्रहलादसिंह, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
3. श्री बाबुलाल गोरा,अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2 से 4
4. श्री भीखाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 8
5. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 9

आदेश

दिनांक 01 मई 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर(उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 168/2022 अनवान तुलछाराम व अन्य बनाम भंवरलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 अगस्त 2022 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 26 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बनाड़ के मूल खसरा नम्बर-438 रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा, ग्राम विश्नोईयों की ढाणी के मूल खसरा नम्बर-549 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत विभाजन होना है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया

	गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट्स के पक्ष में मानते हुए दिनांक 16 मार्च 2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.04.2022 को प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से अण्डरटेकिंग ली गई। तत्पश्चात् पत्रावली में सील लगाते हुए तारीख पेशी आगे दी गई व दिनाक 20.06.2022 की प्रत्यर्थी संख्या 8 की ओर से व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 की ओर से अन्य अधिवक्ताओ द्वारा अण्डरटेकिंग दी गई। दिनांक 08.07.2022 को डाक रसीदे प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात पत्रावली दिनाक 18-07-2022 को रखी गई, जिस पर प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु समय लिया गया व पत्रावली दिनाक 25. 07.2022 को रखी गई। इसके पश्चात पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 25.07.2022 से दिनांक 18.08.2022 को रखी गई। दिनांक 18.08.2022 को विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की अनुपस्थिति लिखते हुए अपनी ही आदेशिकाओं के विपरीत तथ्य अंकित करते हुए स्थगन आदेश आगे नहीं बढ़ाने की आदेशिका लिखी गई, जो आदेश स्वयं के ही आदेशिकाओं के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण अधिवक्ता को सुने बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अपीलांट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में यह बखूबी साबित किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया जा चुका है तथा अब विवादित खसरा में प्रत्यर्थी संख्या-1 का कोई हक, हिस्सा नहीं है। इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा	

	उक्त भूमि में से किसी तरह का कोई बेचान, हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है। मौके पर कब्जा अपीलार्थीगण का है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि में खेती व काश्त करने में दखलअन्दाजी उत्पन्न कर रहा है तथा सड़क वाले भू-भाग को बेचान करने पर आमादा है यदि रेस्पो. संख्या एक अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाता है तथा अपीलार्थीगण को बेदखल करने, उन्हें खेती करने से रोकते है तो अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किया जाना नामुमकिन है। अपीलांट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में बखूबी साबित किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण दिये आलीच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 अगस्त 2022 को निरस्त किया जावे एवं वाद के लम्बित रहने तक विवादित भूमि खेत खसरा नम्बर-549 ग्राम विश्नोईयो की ढाणी एवं खसरा नम्बर-438 ग्राम बनाड के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार ए बी सी पर प्रत्यर्थी संख्या-1 को पाबन्द किया जावे कि वह अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखलअन्दाजी करे न अन्य से करावे तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जवाब में रेस्पो. अधिवक्तागण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 438 के खातेदारान् द्वारा वादग्रस्त आराजी को भूखण्डों में विभाजित कर बेचान कर दिया गया है, जिसका विभाजन संभव नहीं है तथा खसरा नंबर 549 के खातेदारान् द्वारा वादग्रस्त	

	आराजी का पूर्व में विभाजन कर लिया है। कानूनन उक्त भूमि का दुबारा विभाजन संभव नही है। कानूनन नवीन क्रेतागण/ रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की है जो पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स की सहखातेदारी की भूमि प्रतीत होती है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी/रेस्पो. के पक्ष में मानते हुए दिनांक 16 मार्च 2022 अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में बिना कोई ठोस कारण दर्शाये केवल अपीलांट्स की ओर से बहस हेतु उपस्थित नहीं होने के आधार पर पूर्व पारित अस्थाई निषेधाज्ञा का वैकेट किया जाना पाया जाता है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बहस हेतु कोई अवसर नहीं दिया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उपलब्ध अभिलेख	

एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 अगस्त 2022 को अपास्त किया जाता है तथा मामला विचारण न्यायालण्य को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। तब तक रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 438 रकबा 11.07 बीघा में सें 04.07 बीघा एवं मौजा विश्नोईयों की ढाणी के खसरा नंबर 549 में अपीलांट्स के हक-हिस्से तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर